

साक्षात्कार कार्यक्रम

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के अंतर्गत राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में विभागाध्यक्ष (इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी.) के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 31/2020 का साक्षात्कार कार्यक्रम:-

दिनांक एवं दिन	द्वितीय पाली (समय: 02:30 बजे अपराह्न से)
	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
22.02.2022 (मंगलवार)	202031000003, 202031000015, 202031000018, 202031000029, 202031000034, 202031000045, 202031000046, 202031000058, 202031000099

2. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र साक्षात्कार प्रारम्भ होने की तिथि के एक सप्ताह पूर्व से आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक/रजिस्ट्रेशन नम्बर डालकर डाउनलोड कर साक्षात्कार में उपस्थित हो सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्राप्त 12 अंकों के रजिस्ट्रेशन नम्बर को ही अनुक्रमांक माना गया है। साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। उक्त वेबसाइट पर 1. आवेदन पत्र का सार प्रपत्र-I एवं 2. परीक्षावार प्राप्तांक, प्रतिशत श्रेणी एवं विवरण प्रपत्र-II एवं विज्ञापन की कड़िका 5 के आलोक में Evaluation of Academic Performance, Research Performance, Domain Knowledge and Teaching Skill से सम्बन्धित Annexure-A भी उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है। प्रपत्र I, परीक्षावार प्राप्तांक, प्रतिशत श्रेणी एवं विवरण प्रपत्र-II एवं Annexure-A में उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली जानकारीयाँ/सूचनाएँ/दावे से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र मूल में सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारों की अर्हता/अंक गणना प्रभावित होगी तथा इस सम्बन्ध में पुनः किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा एवं तत्सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।
3. साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपनी योग्यता सम्बन्धी निम्नांकित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति भी लाना अनिवार्य होगा:-
 - (i) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र/अंक प्रमाण पत्र।
 - (ii) स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र।
 - (iii) स्नातक सभी वर्ष/सत्र/सेमेस्टर का अंक पत्र।
 - (iv) स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र।
 - (v) स्नातकोत्तर सभी वर्ष/सत्र/सेमेस्टर का अंक पत्र।
 - (vi) पीएच.डी. उत्तीर्णता सम्बन्धी अधिसूचना (Notification)।
 - (vii) पीएच.डी. का मूल प्रमाण पत्र।
 - (viii) B.E./B.Tech. में प्रथम श्रेणी में डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् Relevant/ Appropriate Branch में सीधे Ph.D. Degree उत्तीर्णता का दावा करने की स्थिति में उनके द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र (जो सम्बन्धित विश्वविद्यालय/संस्थान से निर्गत हो) साक्ष्य/प्रमाण के रूप में संलग्न करेंगे कि उक्त उम्मीदवार द्वारा AICTE के प्रावधानानुसार B.E./B.Tech. के पश्चात् M.E./M.Tech./M.S किए बिना Direct Ph.D. में नामांकन लेकर उक्त Ph.D. डिग्री प्राप्त की गई है।
 - (ix) वैसे उम्मीदवार, जिनके प्रमाण पत्र/अंक पत्र में अंक की जगह ग्रेड अंकित है, उन्हें अपने विश्वविद्यालय/संस्था से उक्त ग्रेडिंग को प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु विश्वविद्यालय/ संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति (बी.ई./बी.टेक. तथा एम.ई./एम.टेक. परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने सम्बन्धी विश्वविद्यालय /संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति)।
 - (x) विज्ञापन की कड़िका 3 के आलोक में अनुभव प्रमाण पत्र:- शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 12 वर्ष का अनुभव (10 वर्षों का अनुभव- वेतन स्तर 9 ए से 11 एवं शेष 2 वर्ष का अनुभव व्याख्याता (चयन ग्रेड-I) (वेतन स्तर 12) के स्तर पर पीएच0डी0 के पश्चात् का हो) अथवा शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव (12 वर्षों का अनुभव- वेतन स्तर 9 ए से 12 एवं शेष 3 वर्ष का अनुभव व्याख्याता (चयन ग्रेड-II) (वेतन स्तर 13-ए1) के स्तर पर होना चाहिए।)
 - (xi) आवेदक द्वारा जिस-जिस पद के कार्यानुभव का दावा अपने मूल आवेदन में किया गया है, उक्त कार्यानुभव के वेतन स्तर (Pay Level) के प्रमाण हेतु साक्ष्य के रूप में उक्त अनुभव से सम्बन्धित नियुक्ति पत्र (योगदान करने की स्थिति में), प्रोन्नति पत्र/आदेश (प्रोन्नति पाने की स्थिति में) तथा उस माह का पे स्लिप (वेतन पर्ची), जिसमें अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित पदों पर योगदान समर्पित/प्रोन्नति पाया गया हों, अथवा प्रमाण पत्र, जिससे उम्मीदवार का वेतन स्तर स्पष्ट हो, समर्पित करना अनिवार्य होगा।
 - (xii) सभी उम्मीदवारों को अपने साक्षात्कार के दिन उनके द्वारा विज्ञापन की कड़िका 5 के आलोक में Research/Book Publication, Journal, Seminar Presentation (Seminar/conference proceedings as full paper etc. Abstracts not be to included), Sponsored research project, refresher courses, methodology, workshop, training, teaching, learning evaluation technology, soft skill, development programme faculty development programme से सम्बन्धित शोध पत्र एवं प्रमाण पत्र की मूल प्रति लाना अनिवार्य है।
 - (xiii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
 - (xiv) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)। (दावा करने की स्थिति में)।
 - (xv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र)

- लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। (दावा करने की स्थिति में)।
- (xvi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है)। (दावा करने की स्थिति में)।
- (xvii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के साथ संलग्न अनुसूची I (प्रपत्र 1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
- (xviii) दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।

नोट:- अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधिमान्य नहीं होगा।

- (xix) केन्द्र सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में, तो परीक्षा/साक्षात्कार में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
- (xx) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी के आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार का पत्रांक 11687 दिनांक 30.08.2016) में निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।
- (xxi) हाल का खिंचा हुआ 2 (दो) पासपोर्ट साईज फोटो।
- (xxii) मूल पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।

यदि कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के दिन उपरोक्त वर्णित सभी मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए उन्हें कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता/अभ्यर्थिता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित मूल/औपबन्धिक प्रमाण पत्र के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की तिथि, आवेदन भरने की अंतिम तिथि (04.09.2020) तक या उसके पूर्व का होना आवश्यक है।

4. (i) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब साक्षात्कार के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673, दिनांक 08.03.2011 एवं पत्रांक 704, दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर सत्यापन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।
5. साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबन्धिक है। साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता पर यथास्थिति एवं यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
6. सभी उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इत्यादि से कोई एक मूल में एवं इसकी दो छायाप्रतियाँ स्वहस्ताक्षरित कर अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
7. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से 1½ घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।
8. साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाईल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यथा ब्लू-टूथ, इलेक्ट्रॉनिक पेन इत्यादि आयोग परिसर में लाना वर्जित है।
9. कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार के द्वारा जारी आदेश के आलोक में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कोविड टीका प्राप्त (Vaccinated) प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित हों।

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना